





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 395113

न्यायालय को भी निष्ठाया का यह है—

1. यदि कोई व्यक्ति इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए "निर्देशित न्यायालय सेवा दस्तावेज" प्राप्त करे, तो वह न्यायालय में इसे "पेश" या "पुस्तक" करने में समर्थता प्राप्त करेगा।
2. यदि कोई व्यक्ति इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए न्यायालय सेवा दस्तावेज प्राप्त करे, तो वह न्यायालय में इसे "पेश" या "पुस्तक" करने में समर्थता प्राप्त करेगा।
3. यदि कोई व्यक्ति इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए न्यायालय सेवा दस्तावेज प्राप्त करे, तो वह न्यायालय में इसे "पेश" या "पुस्तक" करने में समर्थता प्राप्त करेगा।













